अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग सम्बंधी चर्चा पर प्रधानमंत्री का स्वतः वक्तव्य; भारत की पृथक्करण योजना का कार्यान्वयन

(दिनांक 7 मार्च, 2006)

महोदय,

मैंने 27 फरवरी, 2006 के अपने वक्तव्य में यह आश्वासन दिया था कि हम अपने नागरिक और सैन्य परमाणु संयंत्रों को अलग-अलग करने के संबंध में अमेरिका के साथ हुई हमारी चर्चाओं से संबंधित गतिविधियों के बारे में इस सम्मानित सदन को अवगत करायेंगे। मैं इस अवसर पर 27 फरवरी के अपने स्वतः वक्तव्य के बाद के घटनाक्रमों के बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूँ।

अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति श्री जार्ज डब्ल्यू. बुश 1-3 मार्च, 2006 को भारत के दौरे पर आए थे। उनकी इस यात्रा से संयुक्त वक्तव्य जो पिछली जुलाई में वाशिंगटन के मेरे दौरे के समय जारी किया गया था, के बाद हमारी सामरिक भागीदारी को मजबूत करने में हुई प्रगति की समीक्षा करने का हमारे दोनों देशों को मौका मिला। हमारी चर्चाओं में कृषि, आर्थिक तथा व्यापार सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वच्छ पर्यावरण, नई तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने जैसे क्षेत्रों में हमारे संबंधों का विस्तार करने और विश्व में सुरक्षा का वातावरण पैदा करने तथा लोकतंत्र को मजबूत करने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया था। इन सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने से भारत के सामाजिक तथा आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रपति श्री बुश की यात्रा के दौरान जारी किये गये संयुक्त वक्तव्य का पूरा मूल पाठ सदन के पटल पर रखा गया है।

मुझे सदन को अवगत कराते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रपति श्री बुश की यात्रा के दौरान नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में भारत और अमेरिका के बीच एक पृथक्करण योजना पर समझौता हुआ। तदनुसार, भारत अपने नागरिक और सैन्य परमाणु संयंत्रों को चिन्हित और पृथक करेगा तथा अपने नागरिक परमाणु संयंत्रों को अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में रखेगा। महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए उस पृथक्करण योजना को सदन के पटल पर रख रहा हूँ जिसे भारत द्वारा तैयार किया गया है और जिस पर 18 जुलाई, 2005 के भारत-अमेरिकी संयुक्त वक्तव्य के क्रियान्वयन के सम्बंध में भारत तथा अमेरिका के बीच सहमति बनी है।

मैं पृथक्करण योजना की कुछ मुख्य बातों का उल्लेख करना चाहूँगा :

(i) भारत सन् 2006-2014 के बीच 14 ताप विद्युत रिएक्टरों को चिन्हित कर अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी के लिए प्रस्तावित करेगा। देश में 22 ताप विद्युत रिएक्टर काम कर रहे हैं अथवा इस समय निर्माणाधीन हैं। इनमें से 14 रिएक्टरों को सन् 2014 तक चरणबद्ध तरीके से निगरानी के तहत रखा जाएगा। इससे निगरानी के तहत कुल स्थापित ताप विद्युत मेगावाट क्षमता वर्तमान 19% से बढ़कर सन् 2014 तक 65% तक पहुंच जाएगी। मैं

इस बात पर बल देना चाहूंगा कि किन-किन परमाणु रिएक्टरों को चिन्हित किया जाएगा और किन चरणों में उन्हें निगरानी के तहत रखा जाएगा, यह निर्णय भारत सरकार का होगा। हम उन 14 रिएक्टरों की एक सूची तैयार कर रहे हैं जिन्हें सन् 2006 से 2014 के बीच निगरानी के लिए प्रस्तावित किया जाएगा।

(ii) हमने बता दिया है कि भारत कलपक्कम में स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पी.एफ.बी.आर.) तथा फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (एफ.बी.टी.आर.) दोनों पर निगरानी को स्वीकार नहीं करेगा। फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम अनुसंधान और विकास की अवस्था में है और इसकी प्रौद्योगिकी को परिपक्व होने तथा विकास की उन्नत अवस्था तक पहुंचने में समय लगेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम में कोई बाधा पैदा हो, और इस बात को पृथक्करण योजना में पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है।

(iii) भारत ने सभी भावी नागरिक ताप विद्युत रिएक्टरों तथा नागरिक ब्रीडर रिएक्टरों को निगरानी के तहत रखने का निर्णय लिया है और भारत सरकार के पास ऐसे रिएक्टरों को नागरिक श्रेणी में रखने का एकमात्र अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि भारत को अपनी राष्ट्रीय जरूरतों के अनुसार भावी परमाणु संयंत्रों, चाहे वे नागरिक हों अथवा सैन्य, के निर्माण में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी।

(iv) भारत ने यह निर्णय लिया था कि सन् 2010 में **साईरस** (सी.आई.आर.यू.एस.) रिएक्टर स्थायी रूप से बंद कर दिया जाए। **अप्सरा** रिएक्टर का फ्यूल कोर फ्रांस से खरीदा गया था, और हम इसे इसके मौजूदा स्थान से स्थानांतरित करने तथा सन् 2010 में निगरानी के तहत रखने हेतु उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। **साईरस** और **अप्सरा** दोनों रिएक्टर भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में स्थित हैं। हमने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्व वाले परमाणु संयंत्र का गहन निरीक्षण कराने की अनुमति देने की बजाए ये कदम उठाए जाएं। हम इस बात के लिए भी कृतसंकल्प है कि इन कदमों से मौजूदा अनुसंधान और विकास कार्य बाधित नहीं होगा।

(v) हमारे स्ट्रेटजिक कार्यक्रम के लिए ईंधन चक्र से जुड़ी रिप्रोसेसिंग और इनरिचमेंट क्षमताओं तथा अन्य सुविधाओं को पृथक्करण योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

(vi) पृथक्करण योजना में जिन मुख्य बिन्दुओं को शामिल किया गया है उनमें से एक यह है कि तारापुर के लिए ईंधन की सप्लाई में व्यवधान के संबंध में हमारे पिछले दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव को देखते हुए ईंधन की आपूर्ति की विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया गया है। हमें अमेरिका से उन रिएक्टरों के लिए भारत को विश्वसनीय तौर पर ईंधन की आपूर्ति का वादा मिला है जिन्हें निगरानी के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। अमेरिका ने भी अपने आश्वासन को दोहराया है कि

वह भारत के लिए एक आवश्यक माहौल तैयार करेगा ताकि उसे ऐसे रिएक्टरों के लिए सुनिश्चित तथा पूरा ईंधन मिल सके। 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य के तहत अमेरिका इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि वह अपने घरेलू कानूनों में संशोधन करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की सहमति प्राप्त करेगा और न्यूक्लीयर सप्लायर्स ग्रुप की पद्धतियों को समायोजित करने हेतु अपने मित्र देशों तथा सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेगा ताकि भारत के लिए आवश्यक माहौल बनाया जा सके जिससे उसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में परमाणु ईंधन पूरी तरह मिल सके जिसमें विभिन्न राष्ट्रों की फर्मों से विश्सनीय तौर पर, निर्बाध और लगातार ईंधन की आपूर्ति भी शामिल है। इसे यात्रा के दौरान हुए औपचारिक समझौतों में दर्शाया गया है और पृथक्करण योजना में शामिल किया गया है।

(vii) भारत को ईंधन की आपूर्ति किसी तरह बाधित न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका अन्य अतिरिक्त कदम उठाने के लिए तैयार है जैसे :

क) परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर एक द्विपक्षीय अमेरिकी-भारत समझौते, जिस पर बातचीत की जाएगी, में ईंधन की आपूर्ति के सम्बंध में आश्वासनों को शामिल करना।

ख) भारत के लिए ईंधन आपूर्ति समझौते के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से बातचीत करने के लिए अमेरिका भारत को सहयोग देगा।

ग) अमेरिका, भारत के रिएक्टरों के जीवनकाल तक ईंधन की आपूर्ति में किसी तरह के व्यवधान न आने देने के लिए परमाणु ईंधन का एक स्ट्रेटजिक रिजर्व तैयार करने में भारत के प्रयासों में सहयोग करेगा।

घ) इन व्यवस्थाओं के बावजूद यदि भारत के लिए ईंधन की आपूर्ति बाधित होती हो तो अमेरिका और भारत ईंधन की आपूर्ति करने वाले मित्र देशों के समूह से संयुक्त रूप से आग्रह करेंगे कि वह भारत को ईंधन की आपूर्ति की बहाली के उपाय करने हेतु रूस, फ्रांस तथा ब्रिटेन जैसे देशों को शामिल करे।

अमेरिका के साथ बनी उपर्युक्त सहमति के मद्देनज़र, भारत और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच भारत के लिए निगरानी समझौते पर बातचीत की जाएगी। संक्षेप में, भारत के लिए निगरानी उपायों में : एक ओर जहां निगरानी के तहत रखी हुई परमाणु सामग्री के किसी भी समय नागरिक इस्तेमाल से निकालने पर निगरानी होगी वहीं दूसरी ओर, विदेशी ईंधन की आपूर्ति में व्यवधान आने की स्थिति में भारत को अपने नागरिक परमाणु रिएक्टरों का निर्बाध रूप से संचालन सुनिश्चित करने हेतु उपचारात्मक उपाय करने की अनुमति होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत अपने नाागरिक परमाणु संयंत्रों को निरंतर भारत-विशिष्ट निगरानी के तहत रखेगा और इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ एक समुचित निगरानी समझौते पर बातचीत करेगा। इस प्रकार पृथक्करण योजना की शर्तों में भारत के उन रिऐक्टरों जिन्हें निगरानी के तहत रखा जाएगा, के लिए ईंधन की अबाधित आपूर्ति करने हेतु भारत को आश्वासन दिया गया है। साथ ही ईंधन की आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में उपचारात्मक उपाय करने के भारत के अधिकार का भी आश्वासन दिया गया है। सदन इस बात से आश्वस्त

हो सकता है कि भारत ने अपने हितों की पूरी तरह रक्षा करने हेतु सभी समुचित उपाय करने का अपना सम्प्रभु अधिकार बनाए रखा है।

इस विषय पर 29 जुलाई, 2005 और 27 फरवरी, 2006 को दिए गए अपने स्वतः वक्तव्यों के दौरान मैंने इस सम्मानित सदन को और माननीय सदस्यों के माध्यम से देश को यह आश्वासन दिया था कि पृथक्करण योजना से हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि बात वस्तुतः यही है। मैं कह सकता हूं किः

i) पृथक्करण योजना से हमारे स्ट्रेटजिक कार्यक्रम पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा स्ट्रेटजिक कार्यक्रम किसी भी तरह बाधित नहीं होगा, और पृथक्करण योजना से हमारे स्ट्रेटजिक कार्यक्रम की मौजूदा और भावी जरूरतों जो खतरे के माहौल के हमारे मूल्यांकन पर आधारित है, को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से फिसाइल सामग्री तथा अन्य सामग्रियाँ सुनिश्चित होगी। स्ट्रेटजिक प्रयोजनों के लिए नए संयंत्रों का निर्माण करने के हमारे अधिकार पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। हमारे परमाणु सिद्धांत की अखंडता और न्यूनतम विश्वसनीय परमाणु निरोधक बनाए रखने की हमारी क्षमता पर्याप्त रूप से सुरक्षित है।

ii) पृथक्करण योजना हमारे थोरियम के भंडारों के भावी इस्तेमाल सहित हमारे त्रि-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम की अखंडता के रास्ते में आड़े नहीं आएगी। परमाणु क्षेत्र में हमारे अनुसंधान और विकास कार्यकलापों की स्वायत्तता बनी रहेगी। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर तथा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निगरानी के दायरे से बाहर रहेंगे। तथापि, हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि भावी नागरिक ताप विद्युत रिएक्टरों तथा नागरिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों को निगरानी के तहत रखा जाएगा। किन्तु इनमें से किस रिएक्टर को नागरिक श्रेणी में रखा जाएगा यह निर्धारित करना पूरी तरह से भारत का निर्णय होगा।

जैसा कि मैंने 27 फरवरी के अपने वक्तव्य में उल्लेख किया था, पृथक्करण योजना मेरे कार्यालय की देखरेख में गहन आंतरिक परामर्श प्रक्रिया के बाद बड़ी सावधानीपूर्वक तैयार की गई है। पृथक्करण योजना को तैयार करने में परमाणु ऊर्जा विभाग तथा हमारे परमाणु वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष तथा भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हर स्तर पर सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि वार्ताओं के दौरान हमने किसी भी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व से जुड़ी किसी भी सूचना से समझौता करने की अनुमति नहीं दी है।

मैं समझता हूँ कि 18 जुलाई, 2005 के वक्तव्य का महत्व यह है कि इससे यह आशा बंधी है कि भारत अब परमाणु सम्पन्न देशों से अलग-थलग नहीं रहेगा। इससे न केवल अमेरिका के साथ बल्कि रूस और फ्रांस जैसे देशों तथा उन्नत परमाणु क्षमताओं वाले अन्य देशों जिसमें न्युक्लियर सप्लाई ग्रुप से प्राप्त होने वाली क्षमताएं भी शामिल हैं, के साथ भी सहयोग की संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। ऊर्जा से जुड़े अनुसंधान कार्यों में सहयोग की गुंजाइश काफी बढ़ जाएगी। इसी तरह परमाणु अनुसंधान कार्यकलापों में भी सहयोग बढ़ेगा। भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल हो सकेगा और परमाणु समुदाय के शीर्ष देशों में अपना उचित स्थान हासिल करेगा। हमारी ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप हमारे सकल

घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पर प्रभाव पड़ेगा। इससे आई.टी.ई.आर. और जेनरेशन IV इनिशियेटिव जैसे परमाणु क्षेत्र में अत्याधुनिक बहुपक्षीय वैज्ञानिक प्रयासों में एक पूर्ण भागीदार के रूप में भारत की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी।

महोदय, 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए अमेरिका और भारत को परस्पर मिलकर काम करने की जरूरत है। भारत द्वारा उठाये जाने वाले कदम अमेरिका द्वारा की गई कार्रवाइयों पर निर्भर करेंगे। जहां तक हमारा संबंध है, हमने पृथक्करण योजना तैयार कर ली है जिसमें उन नागरिक संयंत्रों को चिन्हित किया गया है जिन्हें हम निगरानी के लिए प्रस्तावित करना चाहते हैं। अमेरिकी सरकार ने इस पृथक्करण योजना को स्वीकार कर लिया है। अब अमेरिकी सरकार अपने कानूनों में संशोधन करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से आग्रह करेगी और साथ ही न्युक्लियर सप्लायर ग्रुप से भी अपने दिशा-निर्देशों को अनुकूल बनाने के लिए अनुरोध करेगी ताकि भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच पूर्ण नागरिक सहयोग स्थापित किया जा सके। भारत उपयुक्त स्तर पर भारत-विशिष्ट निगरानी समझौते जिसमें इस व्यवस्था का एकमात्र स्वरूप परिलक्षित होगा, पर चर्चा करने और उसे तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से संपर्क करेगा। चूंकि इस तरह के निगरानी समझौते पर अभी बातचीत की जानी है इसलिए इसकी विषयवस्तु पर पहले से कुछ बताना मुश्किल होगा। फिर भी, मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि हम ऐसे किसी भी प्रावधान को स्वीकार नहीं करेंगे जो 18 जुलाई, 2005 के वक्तव्य और 2 मार्च, 2006 को भारत और अमेरिका के बीच सहमति प्राप्त पृथक्करण योजना के मानदंडों से बाहर जाते हों। हमें उम्मीद है कि आने वाले सप्ताहों और महीनों में यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे इस मामले को ऊर्जा सुरक्षा के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें। इस समय परमाणु ऊर्जा हमारे विभिन्न स्रोतों से उत्पादित कुल ऊर्जा का केवल 3% ही उपलब्ध कराती है। आयातित हाइड्रोकार्बन आपूर्ति की बढ़ती कीमतें और इस पर निर्भरता ऐसे समय में एक बड़ी अनिश्चितता की स्थिति पैदा करती है जब हम अपनी विकास दर में तेजी ला रहे हैं। हमें सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्र में-- स्वच्छ कोयला और कोल-बेड मिथेन से लेकर गैस हाईड्रेट्स और पवन तथा सौर ऊर्जा तक अपनी क्षमताओं में विस्तार के लिए कोशिश करनी होगी। हम विश्व भर में सक्रियता से अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी हासिल कर रहे हैं और हम ऊर्जा के क्षेत्र में की जाने वाली अनेक अन्तर्राष्ट्रीय पहलों के सदस्य हैं। वस्तुतः राष्ट्रपति श्री बुश के साथ अपनी बातचीत के अन्त में हमने दो और कार्यक्रमों में भारत की भागीदारी की घोषणा की थी जिनमें उत्सर्जन-रहित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए फ्यूचर-जेनेरेशन प्रोग्राम तथा गैस हाइड्रेट्स के लिए इन्टीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम शामिल हैं।

सदन इस बात से सहमत होगा कि विभिन्न स्रोतों से उपयुक्त मात्रा में ऊर्जा आपूर्ति की एक समेकित नीति तैयार करना हमारे व्यापक आर्थिक अथवा सामाजिक उद्देश्यों को हासिल करने पर केन्द्रित है। ऊर्जा हमारी अर्थ-व्यवस्था की जीवन-शक्ति है। पर्याप्त मात्रा में और जरूरत के मुताबिक ऊर्जा की उपलब्धता के बगैर सामाजिक क्षेत्र में हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध न होने से आधुनिक आधारभूत ढांचे के निर्माण पर घातक प्रभाव पड़ता है। लगातार कम होते जल-संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर इसका सीधा असर पड़ता है। इस प्रकार, ऊर्जा की कमी केवल एक क्षेत्र में ही हमें पंगु नहीं बनाती है बल्कि यह सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर कुठाराघात करती है।

मैं समझता हूँ कि भारत के लोगों की जरूरतें हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मुख्य एजेन्डा होना चाहिए। इस दृष्टिकोण ने ही अमेरिका के साथ हमारी बढ़ती भागीदारी का मार्गदर्शन किया है। खास तौर पर मैं एक तीन-वर्षीय वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ कृषि के क्षेत्र में ज्ञान पहल की शुरूआत करने की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा ताकि जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र सहित कृषि शिक्षा, अनुसंधान, क्षमता निर्माण में मदद करने के लिए हमारे विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं तथा व्यवसायों को जोड़ा जा सके। हमारी पहली हरित-क्रांति को अमेरिका द्वारा उपलब्ध कराई गई मदद से काफी लाभ हुआ था। हमें आशा है कि कृषि के क्षेत्र में ज्ञान पहल हमारे देश में दूसरी हरित-क्रांति की अग्रदूत बनेगी।

महोदय, भारत और अमेरिका दोनों देशों को इस नई भागीदारी से काफी लाभ मिलेगा। राष्ट्रपति श्री बुश की यात्रा के दौरान हमारी चर्चाओं का यही एक प्रमुख विषय था। नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग की फिर से शुरूआत यह प्रदर्शित करेगी कि हम अपने संबंधों के एक नए और अधिक सकारात्मक चरण में प्रवेश कर गए हैं ताकि हम परमाणु क्षेत्र में वर्षों के तकलीफदेह संबंधों को पूरी तरह पीछे छोड़ सकें। मुझे भरोसा है कि यह एक ऐसा उपयुक्त उद्देश्य है जिसे इस सदन का पूरा समर्थन प्राप्त होगा।